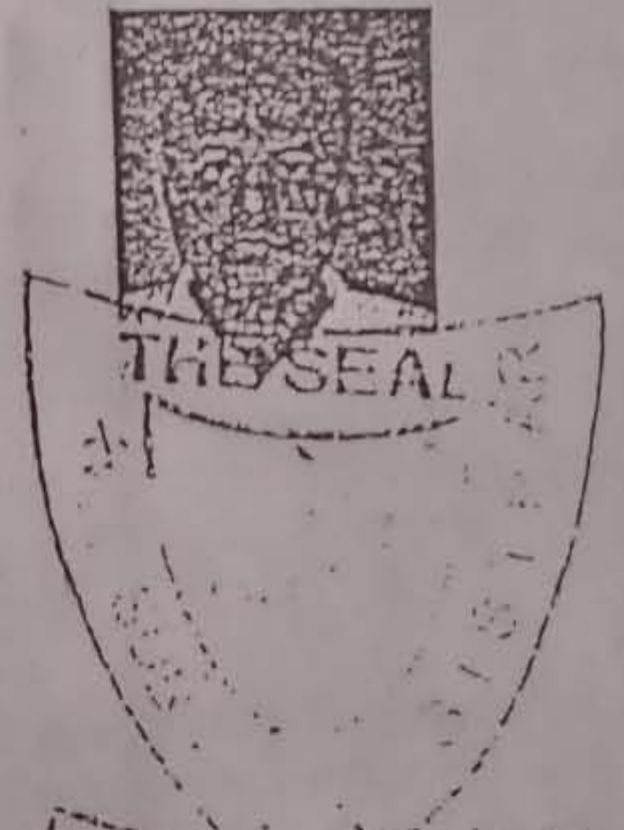




हरियाणा HARYANA

016959

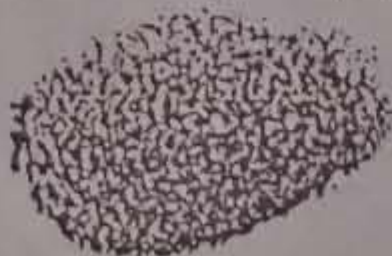


विक्रय पत्र मुबलिग-14,00,000/-रूपये, स्टाम्प मु0-70,000/-रूपये
 दिनांक, स्टाम्प 08/07/2013, क्रमांक 3845, जिला खजाना फरीदाबाद
 मौजा सिरोही, तहसील व जिला फरीदाबाद, नगर निगम की सीमा से बाहर

मैं रहमत बल्द मजीद बल्द उमर खां, निवासी गांव सिरोही तहसील व जिला
 फरीदाबाद, हरियाणा का हूँ।

—शेष पृष्ठ 2 पर जारी—

17/2/11



11/2



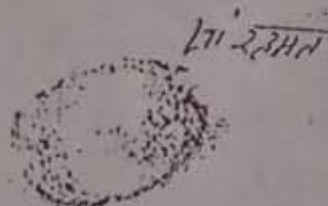
हरियाणा HARYANA

016953

— 2 —

यह कि मांजा सिरोंही तहसील व जिला फरीदाबाद, हरियाणा राज्य में स्थित कृषि भूमि खेवट नम्बर 173/159, खतौनी नम्बर 199, साल जमाबन्दी 2004-05, मु०न० 19, कीला नम्बर 25/2/2(0-7) व मु०न० 20, कीला नम्बर 21/2/2(1-18), किता 2, रकबा 2 कनाल 5 मरला (दो कनाल पांच मरला), किस्म चाही, का मैं मालिक व कांयिजर बरुवे इन्तकाल तकसीम नम्बर 2229, हूँ। गौका पर मेरा अपना ही कब्जा व काश्त है। यह रकबा हर प्रकार की जेरबारी, देनदारी, जमानत, कर्जा, कुर्की, डिकी, कोर्ट-स्टे, मुकदमेबाजी आदि से पाकसाफ व दोषमुक्त है। मैंने उपरोक्त वर्णित रकबा की यावत किसी अन्य से कोई इकरारनामा आदि नहीं किया हुआ है। इस रकबा को विक्रय करने में कोई अड़चन नहीं है। मुझे इस रकबा को विक्रय करने का पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है। अब मुझको बराए जरूरत खानगी धन की जरूरत है, कीमत भी उचिम मिल रही है। अतः मैंने खूब सोच समझ कर,

—शेष पृष्ठ 3 पर जारी—



171



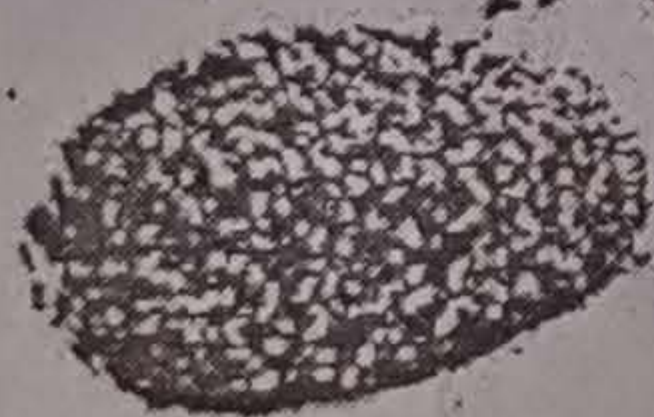
हरियाणा HARYANA

016954

— 3 —

बिना किसी बहकाव धमकाव के, उपरोक्त वर्णित सालिम रकबा 2 कनाल 5 मरला (दो कनाल पांच मरला), को कुल अधिकारी सहित कुल मुबलिग-14,00,000/-रुपये (मुबलिग चौदह लाख रुपये) में पास श्री विजय जैन सुपुत्र श्री वारूराम निवासी ए-45, चावला कालोनी, कस्बा बल्लबगढ जिला फरीदाबाद, हरियाणा को विक्रय कर दिया है यानि बेच दिया है । कुल विक्रय राशि मुबलिग-14,00,000/-रुपये (मुबलिग चौदह लाख रुपये) नकद, खरीददार से प्राप्त कर चुका हूँ । मेरी सालिम विक्रय राशि वसूल तसलीम है, विक्रय राशि की बावत मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन खरीददार की तरफ बकाया नहीं रहा है । कब्जा मौका पर विक्रीत रकबा का मैंने हर प्रकार से पाकसाफ हालत में हवाले खरीददार कर दिया है । आईन्दा मेरा व मेरे वारसान का कोई भी वास्ता या हक विक्रीत सम्पत्ति से बिल्कुल नहीं होगा । खरीददार मेरी बजाए विक्रीत रकबा का मालिक व काबिज हो गया है । खरीददार को मैंने विक्रीत रकबा का मालिक व काबिज बना दिया है ।

—शेष पृष्ठ 4 पर जारी—



4/7



हरियाणा HARYANA

016955

— 4 —

दाखिल खारिज करा दूँगा या इस दरतावेज अनुसार दाखिल खारिज कर दिया जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा । यह रकबा मैंने इससे पहले किसी अन्य को किसी भी रूप में बन्धित या हस्तांतरित नहीं कर रखी है और ना ही किसी अन्य को किसी भी रूप में बन्धित या हस्तांतरित करने का करार लिखित या जवानी रूप से कर रखा है । यदि इस सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई सरकारी या अर्धसरकारी अदायगी बकाया होगी तो उसका मैं देनदार व जिम्मेवार रहूँगा । यदि मेरे टाइटल में कोई नुकस या जेरवारी निकलेगी या कोई दीगर शक्स दावेदार होगा या कोई गलत ब्यानी निकलेगी या रकबा कुल या जुज अगर खरीददार के कब्जा से निकल जाएगा तो इन सभी सूरतों में मैं व मेरी दीगर जायदाद व मेरे वारसान व मेरे वारसान की जायदाद व मय हर्जा-खर्चा के देनदार व जिम्मेवार होगी । खरचा रजिस्ट्री विक्रय पत्र सब का सब खरीददार ने लगाया है । अतः मैंने खूब सोच समझ कर, बिना

—शेष पृष्ठ 5 पर जारी—

11/2/2011

11/2



हरियाणा HARYANA

016956

— 5 —

किसी बहकाव व धमकाव के, अपने पूरे होशो हवास में यह विक्रय पत्र लिख दिया है ताकि सनंद रहे और समय पर काम आवे । दिनांक— 08/07/2013

विक्रेता:— श्री रहमत

खरीददार:— श्री विजय जैन

रहमत

विजय जैन

गवाह-1

[Signature]

M. B. SINGH
12/07/2013

गवाह-2 फज्जू बल्द मजीद, निवासी
सिरोही तहसील व जिला फरीदाबाद ।

फज्जू बल्द



[Signature]
M. K. G. - 11
Advocate

Dist. Court, Sd.-12, Faridabad
On Vakalatnama/ Card Attached